



राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

अतिआवश्यक

क्रमांक: प.25()निभापुवि/शै.प्र./हिन्दी दिवस/20/ 2933-3083 जयपुर, दिनांक 03/09/2020

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /

प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिव,

समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय : हिन्दी दिवस (14 सितम्बर, 2020) पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित ही है कि 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष केन्द्र व राज्य सरकार के सभी विभागों/अर्द्ध सरकारी संस्थानों आदि के द्वारा हिन्दी दिवस को समारोह के रूप में उत्साहपूर्वक मनाने की परम्परा है।

राजस्थान हिन्दी भाषी प्रदेश है अतः यह आवश्यक है कि इस दिन राज्य के समस्त विभागों, कार्यालयों, अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव की ओर से एक परिपत्रादेश समसंख्यक क्रमांक प.3(82)भावि/रचना/2000/4409-4909 दिनांक 22.08.2000 को जासे किया गया था एवं प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा भी इस संबंध में परिपत्रादेश जारी किये जाते हैं।

अतः आप सभी अधिकारीगण से पुनः आग्रह है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करते हुए प्रदेश में हिन्दी के उपयोग हेतु संकल्पबद्ध होकर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके अधीनस्थ विभागों, कार्यालयों, संस्थानों एवं समस्त शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आपके विभाग/कार्यालय/संस्थानों में आयोजित कार्यक्रमों की सूचना एवं रिपोर्ट निदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। इन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से भी किया जाए। संपूर्ण प्रदेश में हिन्दी के प्रयोग हेतु सुखद वातावरण के सृजन के लिए आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

(सि.जी.सि.पोल)

शासन सचिव

स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय



राजस्थान सरकार

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल ब्लॉक नं. 8, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान)-302015

क्रमांक: प.25()निभापुवि/शै.प्र./हिन्दी दिवस/20/ 2933-3083 जयपुर, दिनांक 03/09/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. निबन्धक, राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, आकाशवाणी प्रसार भारती, जयपुर।
9. निदेशक, दूरदर्शन, जयपुर।
10. समस्त प्रबन्ध निदेशक, निगम/स्वायत्तशासी संस्थान /मंडल /उपक्रम।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
13. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय।
14. उपनिदेशक (अनुवाद), स्थानीय कार्यालय को उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
15. समस्त पुस्तकालयाध्यक्ष, राज्य केन्द्रीय/मण्डल/जिला/पंचायत समिति.....।
16. रक्षित पत्रावली।

शुभा

निदेशक एवं पदेन
शासन उप सचिव